भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-145

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

उधार पर विद्युत आपूर्ति

***145. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत वितरण कंपनियों को भुगतान करके बिजली लेने तथा उधार पर विद्युत आपूर्ति न करने के लिये कहे जाने के पीछे सरकार के निर्णय के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार/एनटीपीसी ने राज्यों पर इस निर्णय के प्रभाव का आकलन किया है, क्योंकि उन्हें बिजली प्राप्त करने हेतु हजारों करोड़ रुपये एकत्र करने पड़ते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि विद्युत वितरण कंपनियां इस शर्त को हटाने का अनुरोध/मांग कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है

****

<u>विवरण</u>

"उधार पर विद्युत आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 28.11.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 145 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (घ) : प्राप्ति पोर्टल के अनुसार, 30 सितंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, वितरण लाइसेंसी द्वारा देय उत्पादन कंपनियों की अतिदेय बकाया राशि बढ़कर लगभग 65,000 करोड़ रुपये हो गई है। विद्युत क्षेत्र को संधारणीय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वितरण लाइसेंसी क्रय की गई विद्युत के लिए भुगतान करें। यदि वे समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो उत्पादन कंपनियां कोयला खरीदने में समर्थ नहीं होंगी क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड की कैश एंड कैरी नीति के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति केवल अग्रिम भुगतान पर ही की जाती है।

स्थिति को ठीक करने के उद्देश्य से, सरकार ने निदेश दिया है कि खरीद की गई विद्युत का भुगतान करने और साख पत्र (एलसी) खोलने के लिए वितरण लाइसेंसियों और उत्पादन कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करारों के उपबंधों का अनुपालन किया जाए।

सरकार पीपीए की किसी भी शर्त को नहीं हटा सकती है क्योंकि पीपीए अलंघनीय होते हैं और वितरण कंपनी एवं उत्पादन कंपनी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। सरकार किसी भी पीपीए में पक्षकार नहीं होती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1626

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत की कमी

1626. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में विद्युत कमी की स्थिति से अवगत है, जिसमें ईंधन की कमी, अधिक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानि, विभेदीय प्रशुल्क ढांचा और प्रशुल्क पुनरीक्षणों में विलंब सम्मिलित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विद्युत कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : 31.10.2019 के अनुसार, देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 3,64,960 मेगावाट (मे.वा.) है जोकि देश की विद्युत मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष अर्थात 2019-20 (अक्तूबर, 2019 तक) के दौरान देश की ऊर्जा और व्यस्ततम के संबंध में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि चालू वर्ष 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततम दोनों के संबंध में मांग और आपूर्ति का अंतर 1 प्रतिशत से कम है। यह अंतर सामान्यत: देश में विद्युत उपलब्धता की अपर्याप्तता के अलावा अन्य तथ्यों के कारण, जैसेकि उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क में अवरोध, विद्युत क्रय हेतु राज्य विद्युत यूटिलिटियों में वित्तीय अवरोध इत्यादि। इसके अतिरिक्त विद्युत की मांग में यदि कोई कमी हो तो उसे पूरा करने के लिए वितरण कम्पनी दैनिक आधार पर पावर एक्सचेंजों से भी विद्युत क्रय कर सकती है।

भारत सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के माध्यम से अंतर राज्य पारेषण और वितरण नेटवर्क के संवर्धन और सुदृढीकरण में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रही है। कोयले की आपूर्ति की स्थिति में भी सुधार हुआ है क्योंकि दिनांक 21.11.2019 को विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक पिछले वर्ष इसी दिन 7 दिन के लिए 12.1 मिलियन टन की तुलना में 14 दिन के लिए 23.1 मिलियन टन है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 28.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1626 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

चालू वर्ष अर्थात 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान देश में ऊर्जा और व्यस्ततम के संबंध में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा:

वर्ष	**ऊर्जा**				**व्यस्ततम**			
	ऊर्जा आवश्यकता	**आपूर्ति की गई ऊर्जा**	**आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा**		**व्यस्ततम मांग**	**व्यस्ततम पूरी की गई**	**पूरी नहीं की गई मांग**	
	(एमयू)	**(एमयू)**	**(एमयू)**	**(%)**	**(मेगावाट)**	**(मेगावाट)**	**(मेगावाट)**	**(%)**
2019-20 (अक्तूबर, 2019 तक)*	785,488	781,228	4,259	0.5	183,804	182,533	1,271	0.7

**अनंतिम*

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1633

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

प्रतिस्पर्धी विद्युत कीमत

1633. श्री भोला सिंहः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत बिक्री और खरीद के ढांचे और प्रणाली में परिवर्तन हेतु सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत कीमत प्रतिस्पर्धी बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) देशभर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और ओडिशा के बोलांगीर सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रदान किए गए विद्युत कनेक्शनों की संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा देश में विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और विकास हेतु क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत व्यापार सहित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अन्तर्गत विद्युत की खरीद एवं बिक्री की वर्तमान पद्धति का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन

किया है। यह समूह विद्युत बाजार की वैश्विक पद्धति का पता भी लगाएगा और विद्युत बाजार में निवेश, दक्षता एवं प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सुधारों सहित देश में विद्युत खरीद एवं बिक्री की संरचना एवं प्रणाली में संशोधन करने की सिफारिशें भी करेगा।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय ने वितरण लाइसेंसियों द्वारा दीर्घकालिक, मध्यकालिक एवं अल्पकालिक विद्युत खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिये हैं। टैरिफ नीति में यथाअधिदेशित, राज्यों में वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की सभी भावी खरीद केवल टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से ही की जायेगी। राज्य वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत खरीद की लागत को अधिक इष्टतम करने के उद्देश्य से, अन्तर-राज्यीय उत्पादन स्टेशनों के लिए राष्ट्र स्तरीय मैरिट आर्डर का तंत्र भी शुरू किया गया है।

(ङ) : 11.10.2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरूआत से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के 1,35,881 घरों और ओड़िशा के बालनगिर के 1,83,744 घरों सहित 31.03.2019 तक 2.628 करोड़ अनिच्छुक गैर विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(च) : देश में विद्युत क्षेत्र को आत्म निर्भर बनाने एवं उसके विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपाय **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 28.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1633 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

11.10.2019 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान सौभाग्य पोर्टल के अनुसार घरों के विद्युतीकरण का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	1,745,149
4	बिहार	3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397
6	गोवा	-
7	गुजरात	41,317
8	हरियाणा	54,681
9	हिमाचल प्रदेश	12,891
10	जम्मू और कश्मीर	387,501
11	झारखंड	1,530,708
12	कर्नाटक	356,974
13	केरल	-
14	मध्य प्रदेश	1,984,264
15	महाराष्ट्र	1,517,922
16	मणिपुर	102,748
17	मेघालय	199,839
18	मिजोरम	27,970
19	नागालैंड	132,507
20	ओडिशा	2,452,444
21	पुडुचेरी	912
22	पंजाब	3,477
23	राजस्थान	1,862,736
24	सिक्किम	14,900
25	तमिलनाडु	2,170
26	तेलंगाना	515,084
27	त्रिपुरा	139,090
28	उत्तर प्रदेश	7,980,568
29	उत्तराखंड	248,751
30	पश्चिम बंगाल	732,290
	कुल	**26,284,350**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 28.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1633 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विद्युत क्षेत्र को आत्म निर्भर बनाने एवं उसके विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जा रहे उपाय

क. समय पर भुगतान सुनिश्चित करनाः

- विद्युत मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि विद्युत को प्रेषण के लिए तभी शेड्यूल किया जाएगा जब उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र अर्थात् एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी को यह सूचित कर दिया हो कि विद्युत की मांग की गई मात्रा के लिए साख-पत्र खोल दिया गया है यह समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा और क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा।

ख. नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोत्साहनः

- वर्ष 2022 तक नवीकरणीय क्षमता के 175000 गीगावाट के नवीकरणीय लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक सौर के साथ-साथ गैर सौर ऊर्जा के लिए दीर्घकालिक विकास ट्रैजेक्टरी नवीकरणीय क्रय उत्तरदायित्व (आरपीओ) जारी किया है।
- सौर एवं पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
- आईएसटीएस पारेषण प्रभारों और सौर एवं पवन आधारित परियोजना की हानि से छूट दिसम्बर, 2022 तक बढ़ा दी गई है।

ग. जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायः

- बृहत्त जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जायेगा।
- जल विद्युत क्रय उत्तरदायित्व (नई परियोजनओं के लिए)
- टैरिफ निर्धारण में लचीलापन

घ. संकटग्रस्त ताप विद्युत संयंत्रों के मुद्दों का समाधान करनाः

- शक्ति नीति के अनुसार कोयले के आवंटन में संशोधन,
- विद्युत के लिए ई-नीलामी हेतु कोयले की मात्रा में वृद्धि, कोयले की कम आपूर्तियों का व्यपगन न करना, दक्षता के आधार पर ऐसीक्यू,
- देरी से भुगतान के प्रभार (एलपीएस) का अनिवार्य रूप से भुगतान,
- प्रापण कर्ताओं को पीपीए, एफएसए, पारेषण संयोजन, पर्यावरण मंजूरी/वन मंजूरी और जल मंजूरी सहित अन्य सभी अनुमोदनों को निरस्त न करने की सलाह दी जाती है भले ही परियोजना को एनसीएलटी को संदर्भित किया गया हो अथवा संविदात्मक पीपीए और/अथवा लागू नियमों के उपबंधों के अध्यधीन किसी अन्य ईकाई द्वारा अधिग्रहित किया गया हो।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1648

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन

1648. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

श्री थोमस चाज़िकाडनः

श्री बी. बी. पाटीलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश के हर गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक प्रदान किए गए ऐसे कनेक्शन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में राजसहायता देने की कोई योजना है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विद्युत क्षेत्र में राजसहायता को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या किसी तंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि विद्युत की कीमतों में कमी लाने के लिए सबसे कुशल संयंत्रों से विद्युत का उपयोग पहले किया जाए और यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश में अंतिम छोर कनेक्टिविटी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए अक्तूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" की शुरूआत की थी। सौभाग्य पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 11.10.2017 को योजना की शुरूआत के बाद सम्पूर्ण देश में 31.03.2019 तक 2.628 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : उपभोक्ताओं की निर्दिष्ट श्रेणी को विद्युत कनेक्शन के लिए सब्सिडी राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग को सब्सिडी देने का प्रस्ताव करती है, राज्य को संबंधित वितरण कंपनी को इसके लिए पहले ही राशि उपलब्ध करानी होगी। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि यदि वे सब्सिडी देना चाहते हैं, वे इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दें। टैरिफ नीति भी यह अधिदेश देती है कि निर्धन उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का क्रॉस सब्सिडी के बजाए प्रत्यक्ष सब्सिडी बेहतर तरीका है (टैरिफ नीति, 2016 का खंड 8.3)।

(ङ) : डिस्कॉम्स द्वारा इष्टतम लागत पर विद्युत की अपेक्षित मात्रा के प्रापण के लिए देश में मैरिट ऑर्डर डिस्पैच तंत्र उपलब्ध कराया जा चुका है। इस तंत्र के तहत, विद्युत डिस्कॉम सबसे कम परिवर्तनीय लागत पर अति दक्ष संयंत्रों से विद्युत का उपयोग प्राथमिकता पर करते हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 28.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1648 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

11.10.2017 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान सौभाग्य पोर्टल के अनुसार घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	17,45,149
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,87,501
10	झारखंड	15,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974
12	मध्य प्रदेश	19,84,264
13	महाराष्ट्र	15,17,922
14	मणिपुर	1,02,748
15	मेघालय	1,99,839
16	मिजोरम	27,970
17	नागालैंड	1,32,507
18	ओडिशा	24,52,444
19	पुडुचेरी	912
20	पंजाब	3,477
21	राजस्थान	18,62,736
22	सिक्किम	14,900
23	तमिलनाडु	2,170
24	तेलंगाना	5,15,084
25	त्रिपुरा	1,39,090
26	उत्तर प्रदेश	79,80,568
27	उत्तराखंड	2,48,751
28	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,62,84,350**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1663

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत-वितरण

1663. श्री राहुल कस्वां:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादित विद्युत के वितरण के संबंध में केन्द्र सरकार और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई पृष्ठाधार पत्र तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत के वितरण के संबंध में राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस विवाद के निपटारे हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के वितरण के संबंध में केन्द्रीय सरकार और पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान सरकारों के बीच ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) : जून, 1996 में, हिमाचल प्रदेश ने माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय में मूल वाद संख्या 2/96 में एक वाद पत्र दाखिल किया जिसमें भाखड़ा नंगल परियोजनाओं में 01.11.1966 से और ब्यास परियोनाओं में उनके प्रारम्भ की तारीख से 7.19 प्रतिशत की हिस्सेदारी का दावा किया था। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 27.09.2011 के अपने निर्णय में भाखड़ा एवं ब्यास परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को 7.19 प्रतिशत की हिस्सेदारी की अनुमति दी। तदनुसार, हिमाचल प्रदेश को 01.11.2011 से भाखड़ा एवं ब्यास परियोजनाओं से 7.19 प्रतिशत की हिस्सेदारी दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार को देय विगत ऊर्जा बकाया के संबंध में मामला न्यायाधीन है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1665

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

प्रदूषण नियंत्रण प्रणालीयुक्त विद्युत संयंत्र

1665. कुमारी राम्या हरिदासः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ताप विद्युत स्टेशनों का देश में प्रदूषण में बड़ा योगदान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले कई ऐसे स्टेशन निधि की कमी के कारण प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था करने में असफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने ताप विद्युत स्टेशन प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली से लैस हैं और उक्त उपस्करों के बिना कार्य करने वाले स्टेशनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्टेशनों के उन्नयन में कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए कड़े उत्सर्जन नियंत्रण मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और केवल उन्हीं टीपीपी को प्रचालित करने की अनुमति दी जाती है जो इन मानदण्डों को पूरा करते हैं। आज की स्थिति के अनुसार, इन मानदण्डों को पूरा करने के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्र उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी से सुसज्जित हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) द्वारा दिसम्बर, 2015 में उत्सर्जन नियंत्रण मानदण्डों का एक संशोधित सैट प्रकाशित किया गया था। संशोधित उत्सर्जन मानदण्डों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपकरण लगाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और माननीय उच्चतम न्यायालय के

अनुमोदन से एक फेजिंग योजना निर्धारित की गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ताप विद्युत संयंत्रों में अतिरिक्त उपकरण लगाने के लिए फेजिंग योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। जहां एफजीडी के संस्थापन की योजना बनाई गई है, उनके राज्य-वार ब्यौरे (इकाइयों की संख्या) **अनुबंध** में दिए गए हैं।

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तपोषण किया जाता है।

(ङ) : सीईए ने सूचित किया है कि पर्यावरणीय मानदण्डों के कार्यान्वयन के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के उन्नयन/संस्थापन हेतु अनुमानित व्यय निम्नानुसार हैः-

उपकरण	**अनुमानित पूंजीगत लागत (हार्ड कॉस्ट) करोड़ रू./मेगावाट**
फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी)	0.27-0.45
इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) उन्नयन	0.13
कम्बस्शन ऑप्टीमाइजेशन/एनओएक्स के नियंत्रण के लिए संशोधन उपाय	0.013

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 28.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1665 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एफजीडी की संस्थापना का योजनागत राज्य-वार ब्यौरा (यूनिटों की संख्या)

राज्य	क्षमता (मेगावाट)	यूनिटों की संख्या
आंध्र प्रदेश	9430	19
बिहार	5270	17
छत्तीसगढ़	20430	46
गुजरात	12127	35
हरियाणा	5330	12
झारखंड	4250	13
कर्नाटक	9220	20
मध्य प्रदेश	15190	34
महाराष्ट्र	19790	54
ओडिशा	7080	21
पंजाब	5680	15
राजस्थान	6280	18
तमिलनाडु	7670	22
तेलंगाना	5400	12
उत्तर प्रदेश	20880	60
पश्चिम बंगाल	12445	42
कुल जोड़	**166472**	**440**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1677

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम

1677. श्री के. सुधाकरनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 1.34 करोड़ परंपरागत लाइटों को बदलने के राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम (एसएलएनपी) के अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक नई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा एसएलएनपी के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में एसएलएनपी लागू करने हेतु पीएसयू ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) को निधि जारी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : माननीय प्रधान मंत्री ने 05 जनवरी, 2015 को स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य मार्च, 2019 तक 1.34 करोड़ परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट एवं ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलना है। एसएलएनपी का कार्यान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है और इसका कार्यान्वयन ईईएसएल के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर के आधार पर किया जाता है। ईईएसएल ने देश में 29 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज की स्थिति के अनुसार, ईईएलएल ने पूरे देश में 1000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के शामिल करते हुए 1.02 करोड़ से अधिक एलईडी लाइटें लगाई हैं।

इलैक्ट्रिक लैंप एण्ड कम्पोनेन्ट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (ईएलसीओएमए) द्वारा 01 मई, 2019 को प्रकाशित रिपोर्ट (लाइटिंग इन्डस्ट्री डाटा 2018-19) के अनुसार, एलईडी इन्डस्ट्री ने 2015 से 2018 तक 1.35 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति की है।

(ग) : एसएलएनपी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैः

- ईईएसएल द्वारा परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के प्रस्ताव सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
- सचिव, विद्युत मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को उनके संबंधित राज्यों में एसएलएनपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पत्र लिखे हैं।
- ईईएसएल ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ईईएसएल के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख अधिकारियों के साथ निरंतर अनुवर्तन किया जाता है।
- एसएलएनपी के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों में जागरूकता विकसित करने के लिए समय-समय पर ईईएसएल द्वारा राष्ट्र स्तरीय और राज्य स्तरीय कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) : एसएलएनपी स्वैच्छिक प्रकृति का कार्यक्रम है और भारत सरकार से किसी भी बजटीय सहायता के बिना चलाया जाता है। एसएलएनपी सतत व्यावसायिक मॉडल पर आधारित है जिसमें दक्ष लाइटिंग की लागत का शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पुनर्भुगतान बिजली के बिलों में बचत के माध्यम से समय के साथ-साथ ऊर्जा और रख-रखाव व्यय में बचत से किया जाता है। सम्पूर्ण अग्रिम निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है जो देशभर से मांग को संग्रहीत करती है और खुदरा बजार की तुलना में कम दरों पर शहरी स्थानीय निकायों में एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एलईडी स्ट्रीट लाइटों की अधीप्राप्ति करती है।

कार्यक्रम के प्रसार में उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं और आज तक की स्थिति के अनुसार ईईएसएल ने असम, सिक्किम एवं त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी राज्यों में 1,04,692 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1706

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

दामोदर वैली कॉरपोरेशन का कार्य

1706. श्रीमती अन्नपुर्णा देवीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सिंचाई और विद्युत उत्पादन में दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में डीवीसी के तहत बांधों द्वारा कोडरमा जिले को आपूर्ति की गई विद्युत के उत्पादन का प्रतिशत और सिंचाई हेतु जल की मात्रा कितनी है; और

(ग) डीवीसी के तहत बांधों से कोडरमा जिले को और अधिक सिंचाई हेतु जल और विद्युत आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के अंतर्गत, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) अपने केवल तीन बांधों अर्थात् कोनार, मैथॉन तथा पंचेट (तिलैया बांध को छोड़कर) के पुनर्वास कार्य को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना में तीन (03) घटक अर्थात् डीवीसी बांधों का पुनर्वास एवं सुधार, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा परियोजना प्रबंधन शामिल हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य डीवीसी के संरचनात्मक/असंरचनात्मक भाग की सुरक्षा बढ़ाना और उनका प्रचालनात्मक निष्पादन सुधारना है, ताकि आपदा के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सके। डीवीसी की कुल संस्थापित क्षमता ताप विद्युत के संबंध में 7090 मेगावाट और जल विद्युत के संबंध में 147.2 मेगावाट है। इस समय डीवीसी का क्षमता अभिवृद्धि का कोई कार्यक्रम नहीं है।

कोडरमा जिले में तिलैया जलाशय की सिंचाई क्षमता 24,670 हेक्टेयर मीटर है। तथापि, इस समय, डीवीसी बांधों से कोडरमा जिले को सिंचाई के लिए जल आपूर्ति नहीं की जा रही है क्योंकि डीवीसी को झारखण्ड सरकार की ओर से कोडरमा जिले को सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 (अक्तूबर, 2019 तक) के दौरान, कोडरमा जिले में स्थित तिलैया जल विद्युत स्टेशन (क्षमता 2x2 मेगावाट) से 0.165 एमयू विद्युत की मात्रा का उत्पादन किया गया है। डीवीसी अपने उत्पादन से कोडरमा जिले के हाईटेंशन (एचटी) के उपभोक्ताओं को 48 मेगावाट विद्युत (थर्मल तथा हाइडल) की सीधी आपूर्ति करता है। डीवीसी अपने उत्पादन से झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को भी 600 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करता है, जो बदले में जेबीवीएनएल कोडरमा जिले सहित झारखंड के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1711

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

'उदय' योजना के अंतर्गत ऋण

1711. श्री दीपक बैजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई-उदय) में शामिल होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उन राज्यों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने 'उदय' योजना के अंतर्गत ऋण लिया है तथा उसकी धनराशि कितनी है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ के कारण विद्युत हेतु उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 'उदय' योजना पर ऋण भार बढ़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : 26 राज्यों और 07 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख (पूर्ववर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य), झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल हुए हैं।

(ख) और (ग) : विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) का, 30.09.2015 को मौजूद, 75 प्रतिशत ऋण लेने के लिए 16 उदय राज्यों द्वारा जारी किए गए बांडों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। चूंकि, प्रशुल्क ऋण की लागत जैसे कई प्राचलों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है, इसलिए उपभोक्ताओं को राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों की वहनीय लागत की सीमा तक प्रशुल्क का लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार, राज्यों पर वित्तीय बोझ के कारण उपभोक्ताओं द्वारा अधिक भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) : चूंकि, उदय में एकबारगी उपाय के रूप में 30.09.2015 को डिस्कॉमों के मौजूदा ऋण का निर्धारित प्रतिशत राज्यों द्वारा लेने की परिकल्पना की गई थी, इसलिए राज्यों पर इस प्रकार के ऋण की वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 28.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1711 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

		आंकड़े करोड़ रुपये में
जारी किए गए उदय बांडों का सार		
क्रम सं.	**राज्य**	**आज की तारीख तक राज्य द्वारा जारी किए गए कुल बांड**
1	राजस्थान	59722
2	उत्तर प्रदेश	39133
3	छत्तीसगढ़	870
4	झारखंड	6136
5	पंजाब	15629
6	बिहार	2332
7	जम्मू और कश्मीर	3538
8	हरियाणा	25951
9	आंध्र प्रदेश	8256
10	मध्य प्रदेश	7360
11	महाराष्ट्र	4960
12	हिमाचल प्रदेश	2891
13	तेलंगाना	8923
14	असम	0
15	तमिलनाडु	22815
16	मेघालय	125
कुल		**208641**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1721

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

बहुराज्यीय विद्युत परियोजनाओं का प्रशुल्क

1721. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बहुराज्यीय विद्युत परियोजनाओं का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिससे ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ी अनिश्चितता दूर हो सकेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या संशोधित नीति के अनुसार, सभी उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 या इसके पूर्व चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत विनियामक एक स्पष्ट कार्य-योजना बनाएगा, जिससे इस ग्रिड से अब तक नहीं जुड़े हुए दूरस्थ गाँवों में माइक्रो-ग्रिड का सृजन करने की भी बात है तथा उक्त माइक्रो-ग्रिड अपनी अतिरिक्त विद्युत मात्रा को दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित ग्रिड को विक्रय कर सकेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) को एक से अधिक राज्य में विद्युत उत्पादन और बिक्री के लिए संयुक्त योजना वाले उत्पादकों सहित केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादक कंपनियों के प्रशुल्क को विनियमित करने का अधिदेश देती है। तदनुसार, विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बहु-राज्य विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क का निर्धारण सीईआरसी द्वारा किया जाता है। बहु-राज्य विद्युत परियोजनाओं द्वारा समय-समय पर दायर सभी प्रशुल्क याचिकाओं का सीईआरसी द्वारा विधिवत विनियामक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के बाद निपटान किया जाता है।

(ग) और (घ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति की जिम्मेदारी राज्य/राज्य विद्युत यूटिलिटियों के कार्यक्षेत्र में आती है। प्रशुल्क नीति, 2016 में अपेक्षित है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग एक विशिष्ट ट्रेजेक्ट्री तैयार करेंगे ताकि वर्ष 2021-22 तक या उससे पहले राज्य में व्याप्त स्थिति पर निर्भर करते हुए सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पर्याप्त और निर्बाध विद्युत की 24 घण्टे आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

प्रशुल्क नीति में यह भी कथन है कि नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति करने वाली माइक्रो ग्रिड ऐसे क्षेत्रों में स्थापित की जाए जहां ग्रिड नहीं पहुंची है या जहां ग्रिड में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध नहीं है। यहां एक जोखिम यह हो सकता है कि जब ग्रिड माइक्रो ग्रिड के क्षेत्र में पहुंचती है तो उपभोक्ता माइक्रो ग्रिड से ग्रिड में जा सकते हैं। ऐसे जोखिम को कम करने के लिए, समुचित आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क पर माइक्रो ग्रिड से ग्रिड में विद्युत की खरीद को अनिवार्य रूप से अधिदेशित करने के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क बनाए।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से विद्युत ग्रिड सभी गांवों तक पहुंच गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1729

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

जीवाश्म ईंधन से इतर ध्यान केन्द्रित करना

1729. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का जीवाश्म ईंधन के स्थान पर गैर-जीवाश्म आधारित और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केन्द्रित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई तिथि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार का केन्द्र बिंदु संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म आधारित और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) के अनुपात में वृद्धि करना है। 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार, अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता 3,64,960 मेगावाट है जिसमें जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 2,29,401 मेगावाट (अर्थात् 63%) और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 1,35,559 मेगावाट (अर्थात् 37%) (हाइड्रो से 45,399 मेगावाट, न्यूक्लियर से 6,780 मेगावाट, आरईएस से 83,379.5 मेगावाट) शामिल हैं।

2018 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, 2021-22 के अंत तक अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता 4,79,419 मेगावाट होने का अनुमान है जिसमें जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 2,43,037 मेगावाट (अर्थात् 51%) और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 2,36,381 मेगावाट (अर्थात् 49%) (हाइड्रो से 51,301 मेगावाट, न्यूक्लियर से 10,080 मेगावाट, आरईएस से 1,75,000 मेगावाट) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, 2026-27 के अंत तक अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता 6,19,066 मेगावाट होने का अनुमान है जिसमें जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 2,63,885 मेगावाट (अर्थात् 43%) और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 3,55,181 मेगावाट (अर्थात् 57%) (हाइड्रो से 63,301 मेगावाट, न्यूक्लियर से 16,880 मेगावाट, आरईएस से 2,75,000 मेगावाट) शामिल हैं।

(ग) से (ङ): सरकार ने 2022 के अंत तक देश में 175 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें सौलर से 100 जीडब्ल्यू, पवन से 60 जीडब्ल्यू, बायोमास से 10 जीडब्ल्यू तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 5 जीडब्ल्यू शामिल हैं। 31 अक्तूबर, 2019 तक देश में कुल 83.38 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संस्थापित की गई है।

कुल 12,034.5 जल विद्युत उत्पादन क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त, देश में जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 8 मार्च, 2019 को कई उपाय मंजूर किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- ✓ बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (एलएचईपी) (>25 मेगावाट परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।
- ✓ जल विद्युत क्रय दायित्वों (एचपीओ) को गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) के भीतर एक पृथक कंपनी।
- ✓ जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय करना।
- ✓ बाढ़ नियंत्रण/स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।
- ✓ निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन सक्षमीकरण अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता।
    - 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट।
    - 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट।

इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी की सुविधा के लिए सरकार ने ग्रीन एनर्जी कोरिडोर (जीईसी) के विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरु किया है। इस कार्यक्रम के तहत बड़े स्तर पर नवीकरणीय उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की सुविधा के लिए अंतःराज्य तथा अंतरराज्य पारेषण अवसंरचना सृजित करके उत्पादन बिंदुओं से नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी ग्रिड को करने का उद्देश्य है। जीईसी के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आरएलडीसी) तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) के अनुरूप नवीकरणीय समृद्ध राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (आरईएमसी) भी स्थापित किए जा रहे हैं।

5300 मेगावाट की न्युक्लियर विद्युत उत्पादन क्षमता भी निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

सरकार ने देश में आरईएस के जरिए संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य घोषित करना;
- ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
- दिसम्बर, 2022 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौलर और पवन विद्युत की अंतरराज्य बिक्री के लिए अंतरराज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों और हानियों की छूट;
- लागत प्रभावी तरीके से प्रतिस्पर्धी दरों पर सौर और पवन विद्युत का प्रापण करने के लिए वितरण लाइसेंसी को सक्षम बनाने हेतु मानक बोली दिशानिर्देश की अधिसूचना;
- वर्ष 2022 तक नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री घोषित करना;
- बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अभिवृद्धि के ग्रिड एकीकरण की सुविधा के लिए ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना का कार्यान्वयन;
- नई योजानाएं जैसे पीएम-कुसुम, सौर रूफटॉप फेज-II, 12,000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम फेज-II की शुरुआत;
- प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सौर और पवन विद्युत के प्रापण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1742

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु को विद्युत आवश्यकताएं

1742. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन विभिन्न सरकारी और निजी परियोजनाओं की वजह से बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तमिलनाडु के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं जिन परियोजनाओं को जारी रखने के लिए चौबीसों घंटे बिजली की आवश्यकता है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरंस योजना (उदय) के तहत तमिलनाडु बिजली बोर्ड और टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. को कोई वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान कराई है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महत्वपूर्ण सरकारी और निजी कार्यालयों और प्रमुख संस्थानों, पुलिस कार्यालयों आदि के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु विशेषकर तमिलनाडु के चैन्नई, मदुरई, कोयंबटूर और अन्य महानगरों और औद्योगिक शहरों हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत एक समवर्ती विषय है। विद्युत की आपूर्ति/वितरण प्राथमिक रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटिज के परिदृश्य के अर्न्तगत आती है। बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पर्याप्त विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं तथा विद्यमान स्थापित क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु थर्मल, हाईड्रो एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अनेक परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है।

(ख) : भारत सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों की अनुपूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा शहरी क्षेत्रों में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है। फीडर पृथक्करण, प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा मीटरिंग इत्यादि के लिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 924.11 करोड़ रुपये लागत राशि की परियोजनाएं तथा 33/11 केवी सब-स्टेशनों, एचटी लाइनों, एलटी लाइनों, मीटरिंग, एबी केबलिंग एवं भूमिगत केबलिंग इत्यादि के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत 1853.90 करोड़ रुपये लागत राशि की परियोजनाएं तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत की हैं। निधि प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 1790.58 करोड़ रुपये की राशि इन योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार के तहत पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) भी ऋण उपलब्ध करवाते हैं।

(ग) : उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) एक सुधार आधारित योजना है, जिसके अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ-शासित राज्यों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ) : तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उसके द्वारा सरकारी तथा निजी कार्यालयों तथा प्रमुख संस्थानों पुलिस कार्यालयों, सहित सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। राज्य विद्युत यूटिलिटिज/बोर्ड को अनुपूर्ति हेतु भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता में भी बढोत्तरी की है, जिसमें चैन्नई, मदुरै एवं कोयंबटूर सहित सात शहरों में किसी भी बिजली की खराबी के मामले में विद्युत की द्रुत/तत्काल स्थापना के लिए स्काड़ा (पर्यवेक्षीय नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण) सिस्टम की स्थापना हेतु उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण भी शामिल है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1758

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी में अनियमितताएं

1758. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकरः

क्या **व़िद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनटीपीसी में ठेकेदारों के साथ अधिकारियों की साठगांठ के कारण बड़े स्तर पर अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मामलों में से कुल कितने मामलों में कार्रवाई की गई है और कितने मामले अभी भी लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : एनटीपीसी में संविदाएं, लागू केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित की जाती हैं और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसका निपटान भी विद्यमान सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान पाई गई अनियमितताएं और एनटीपीसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे **अनुबंध** पर हैं।

****

<u>अनुबंध</u>

लोक सभा में दिनांक 28.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1758 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्र.सं.	**मामलों के ब्यौरे**	**की गई कार्रवाई/विलंबन के कारण**
1.	एनटीपीसी, गादरवाड़ा में स्टील की चोरी	सीबीआई द्वारा जांच अधीन (आरसी0092017ए0007 दिनांक 25.11.2017)
2.	एनटीपीसी, बाढ़ में स्टील की चोरी	सीबीआई द्वारा जांच अधीन (आरसी0232019ए0008 दिनांक 26.07.2019)
3.	एमएमटीसी और कोस्टल एनर्जी प्रा. लि. के माध्यम से आयातित कोयले की प्राप्ति में अनियमितताएं	सीबीआई द्वारा जांच अधीन (आरसी-221/2018/ई0003, जनवरी, 18)
4.	बीआरबीसीएल ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के संबंध में पूर्व सीईओ, बीआरबीसीएल, नबीनगर के विरुद्ध मामला	सीबीआई द्वारा जांच अधीन (आरसी एसी1 2018 ए0002 दिनांक 21.02.2018)
5.	एनटीपीसी/कुडगी में साइट लेवलिंग पैकेज के निर्माण में अनियमितताएं	सीबीआई द्वारा जांच अधीन (आरसी 15(ए)/2017 दिनांक 27.08.2017) विभागीय कार्रवाई- जीएम तथा वरिष्ठ प्रबंधक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति और पूर्व जीएम, पूर्व एजीएम तथा वरिष्ठ प्रबंधक पर बड़े दण्ड लगाए गए।
6.	ऐश डाइक पैकेज एनटीपीसी, सिम्हाद्री से संबंधित परियोजना प्रमुख एनटीपीसी विशाखापट्टनम एवं अन्यों के विरुद्ध मामला	सीबीआई द्वारा जांच (आरसी 09(ए)/2016-सीबीआई/वीएसपी दिनांक 10.06.2016 और आरसी14(ए)/2016-सीबीआई/वीएसकेपी दिनांक 14.06.2016. तीन अधिकारियों जीएम, प्रबंधक एवं उप प्रबंधक के अभियोजन हेतु स्वीकृति दी गई। एक अधिकारी, उप प्रबंधक के लिए मामले को दिनांक 05.11.19 के पत्र द्वारा सीवीसी को संदर्भित किया गया। विभागीय कार्रवाई-प्रबंधक पर बड़ा दण्ड लगाया गया और उप प्रबंधक पर लघु दण्ड लगाया गया।
7.	पूर्व सीवीओ एनटीपीसी के विरुद्ध मामला	सीबीआई द्वारा जांच अधीन (सीबीआई/एसीबी/वीकेएसपी का आरसीवीएसपी 2017ए0016 दिनांक 09.07.2017)
8.	केयूबीएनएल, कांटी में सिविल अनुरक्षण कार्यों में अनियमितताएं	सीबीआई द्वारा प्राथमिक जांच अधीन

9.	मैसर्स वीनस इलैक्ट्रीकल्स द्वारा एनटीपीसी, ईआर-II एचक्यू में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में जाली बीजी प्रस्तुत करना	सीबीआई द्वारा जांच अधीन (आरसी 3ई/2017 कोल)
10	पूर्व निदेशक (वित्त), एनटीपीसी के विरूद्ध मामला	सीबीआई द्वारा जांच (आरसी एसी1 2017 ए 0007 दिनांक 07.12.2017) अभियोजन हेतु स्वीकृति दी गई। दिनांक 07.12.2018 की चार्जशीट द्वारा बडे दंड की कार्रवाई शुरू की गई। विभागीय जांच प्रगति पर है।
11	एनटीपीसी लारा में सीमेंट तथा स्टील आइटमों के वास्तविक सत्यापन में अनियमितताएं	सीबीआई को संदर्भित ।
12	उप प्रबंधन एनटीपीसी रामागुण्डम के विरूद्ध मामला- एक कार्यरत ठेकेदार से 50,000 रूपए की घूस लेते हुए रंगेहाथ पकडे गए।	विभागीय जांच के दौरान आरोप सिद्ध हुए। आरोपी अधिकारी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया। स्थगन हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
13	एनटीपीसी ऊंचाहार में घटिया गुणवत्ता के आयातित कोयले की आपूर्ति एवं स्वीकार्यता।	सीबीआई ने मामले की जांच की और विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की। विभागीय जांच के दौरान आरोप सिद्ध नहीं होने पर प्रबंधक को दोषमुक्त कर दिया गया।
14	एनएसपीसीएल भिलाई में घटिया गुणवत्ता के आयातित कोयले की आपूर्ति एवं स्वीकार्यता।	सीबीआई ने मामले की जांच की और विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की। विभागीय जांच के दौरान आरोप सिद्ध नहीं होने पर सहायक प्रबंधक को दोषमुक्त कर दिया गया।
15	बिहार में स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत प्रीफैब टायलेट की संस्थापना में अनियमितताएं देखी गई।	एजीएम बीआरबीसीएल पर बडा दंड लगाया गया।
16	एनटीपीसी मौदा में घूस लेने का ट्रेप केस।	सीबीआई द्वारा जांचाधीन (आरसी संख्या 0282017ए0004) वरिष्ठ प्रबंधक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है।
17	टाऊनशिप के सिविल कार्यों से संबंधित 04 पैकेजों को अवार्ड करते समय मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड में निविदा प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार ।	दो पूर्व जीएम, डीजीएम तथा एजीएम के विरूद्ध बडे दंड की कार्यवाही शुरू की गई। विभागीय जांच प्रगति पर है।
18	एनटीपीसी सोलापुर एसटीपीपी के लिए ऐश डाइक पैकेज के शेष कार्य में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में।	पूर्व एजीएम तथा प्रबंधक के विरूद्ध बडे दंड की कार्यवाही शुरू की गई। विभागीय जांच प्रगति पर है।
19	ऐश डाइक क्षेत्र एनटीपीसी कहलगांव में वृक्षारोपण के लिए गड्ढे तैयार करने के कार्य को अवार्ड करने में अनियमितताएं	प्रबंधक के विरूद्ध बडे दंड की कार्यवाही शुरू की गई। विभागीय जांच प्रगति पर है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1767

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता

1767. श्री प्रतापराव जाधवः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि कोयला आधारित प्रमुख ताप विद्युत उत्पादक देशों में भारत के कोयला आधारित संयंत्रों की दक्षता सबसे कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन संयंत्रों की दक्षता में सुधार करने और आस-पास के क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई उपाय करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कितना बजटीय आवंटन किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता बढ़ाने तथा इन संयंत्रों के आस-पास एयर क्वालिटी में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) विद्युत मंत्रालय ने 2009 में निर्णय लिया था कि 2017 से सभी कोयला आधारित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी। सुपर क्रिटिकल यूनिटों की ताप दक्षता सब-क्रिटिकल यूनिटों से विशेष रूप से लगभग 2% प्वाइंट अधिक है। अगस्त, 2019 तक 51,770 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की कुल क्षमता की 75 सुपर क्रिटिकल/अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिटें (जो सुपर क्रिटिकल यूनिटों की तुलना में लगभग 1.5% प्वाइंट हैं) चालू की गई हैं।

(ii) उच्च ताप प्राचलों (अर्थात अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी) वाले सुपर क्रिटिकल विद्युत उपकरणों का स्वदेशी विनिर्माण देश में उपलब्ध है। स्वदेशी विनिर्माता, जिन्होंने सुपर क्रिटिकल विद्युत उपकरणों के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल श्रेणी के विद्युत उपकरणों का विनिर्माण और आपूर्ति करने में सक्षम हैं।

(iii) ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता में और सुधार करने के लिए लगभग 46 प्रतिशत की लक्षित क्षमता, जो सुपर क्रिटिकल यूनिटों की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत प्वाइंट का सुधार है, वाले लगभग 300 कि.ग्रा./सीएम^2 प्रेशर तथा 700 डिग्री सेल्सियस स्टीम ट्रेम्प्रेचर के स्टीम प्राचल वाली एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी (ए-यूएससी) के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस संबंध में, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आईजीसीएआर), एनटीपीसी और भेल ने 310 कि.ग्रा./सीएम^2 के मेन स्टीम प्रेशर और 710/720 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाले 800 मेगावाट ए-यूएससी स्वदेशी प्रदर्शन संयंत्र के विकास के लिए अगस्त, 2010 में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था।

(iv) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने ऊर्जा गहन क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने तथा ऊर्जा दक्षता में सुधारों की लागत प्रभावशीलता बढ़ाने, जिसमें ऊर्जा के प्रति वर्ष 30,000 टन ऑयल समतुल्य (टीओई) से अधिक खपत करने वाले ताप विद्युत स्टेशन शामिल हैं, के लिए नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (एनएमईईई) के तहत परफॉर्म, एचीव एण्ड ट्रेड (पीएटी) स्कीम कार्यान्वित की है। वर्तमान में, लगभग 181 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की क्षमता वाले 225 ताप विद्युत स्टेशन इस योजना में शामिल किए गए हैं।

(v) सरकार ने दक्षता आधारित कोयला की वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) का अनुमोदन दे दिया है।

(vi) प्रचालनरत सभी ताप विद्युत स्टेशनों में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के नियंत्रण के लिए उच्च दक्षता के इलेक्ट्रेस्टेटिक प्रिसिपिटेटर (ईएसपी) लगे हुए हैं।

(vii) ताप विद्युत संयंत्रों के आस-पास एयर क्वालिटी में सुधार करने के लिए इन विद्युत संयंत्रों के लिए संशोधित उत्सर्जन मानदण्ड विनिर्दिष्ट करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) ने 07 दिसंबर, 2015 को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 अधिसूचित किए हैं।

सेंटर फॉर साइंस एण्ड एन्वायरमेंट (सीएसई) ने फरवरी, 2015 में "हीट ऑन पावर-ग्रीन रेटिंग ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स" रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में "एनर्जी एण्ड ग्रीन हाउस गैसेज" शीर्षक के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता के संबंध में एक अध्याय है। यह अध्ययन 2011 में विभिन्न देशों में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की दक्षता की तुलना करता है तथा भारत से 2012 में 47 प्रचालनरत ताप विद्युत संयंत्रों का अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन पुराना है।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार सतत रूप से उपाय कर रही है।

(घ) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई पृथक बजट आबंटन नहीं किया गया है।

(ङ) : कोयला कंपनियों द्वारा प्रेषित कोयले की गुणवत्ता के मुद्दे का समाधान करने के लिए, सरकार ने लोडिंग-एण्ड (माइन एण्ड) के साथ-साथ अनलोडिंग-एण्ड (पावर प्लांट एण्ड) पर कोयले की थर्ड पार्टी सैंपलिंग और विश्लेषण करने का निर्णय लिया है। थर्ड पार्टी एजेंसी अर्थात् सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च (सीआईएमएफआर) द्वारा थर्ड पार्टी सैंपलिंग विश्लेषण के परिणामों के आधार पर कोयले के घोषित ग्रेड तथा कोयले के विश्लेषित ग्रेड के बीच अंतर के मामले में कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत संयंत्रों को क्रेडिट/डेबिट नोट जारी किए जाते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1787

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

घरों के लिए प्री-पेड विद्युत मीटर

1787. श्री चिराग कुमार पासवानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में घरेलू प्रयोजन हेतु प्री-पेड विद्युत मीटर आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विशेषतः दिल्ली/एनसीआर में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निकट भविष्य में ऐसे किसी प्रस्ताव हेतु योजना परिव्यय और कार्यान्वित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : भारत सरकार ने अगले तीन वर्षों की अवधि में प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों को लगाने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए राज्यों को वर्ष 2019 में एडवाइजरी जारी की हैं।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) की एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कम्पनी नई दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र सहित अनेक राज्यों में स्मार्ट मीटरों की स्थापना कर रही है जहां प्रारम्भिक निवेश ईईएसएल द्वारा किया जा रहा है और राज्य/यूटिलिटीज मासिक किराया आधार पर इसकी अदायगी करती हैं। एनडीएमसी के अलावा, ईईएसएल ने स्मार्ट मीटरों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना एवं आन्ध्र प्रदेश के साथ सहमति ज्ञापनों/अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। आज तक की स्थिति के अनुसार, ईईएसएल द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनडीएमसी-दिल्ली, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में लगभग 7.5 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित एवं प्रचालित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों की स्थापना करने के लिए विभिन्न जारी स्कीमों के माध्यम से राज्यों की सहायता भी कर रही है। एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अन्तर्गत, भारत सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 41.5 लाख स्मार्ट मीटरों की स्थापना के लिए 834 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1793

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

एनएचपीसी के साथ एनईईपीसीओ का विलय

1793. श्री तापिर गावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) के साथ नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ) का विलय करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विलय की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार एनईईपीसीओ में उत्तर-पूर्वी कर्मचारियों को कोई रोजगार गारंटी प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1823

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले का भंडार

1823. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विभिन्न थर्मल पावर प्लांटों में कोयले के स्टॉक का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आम तौर पर बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले के स्टॉक की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के साथ कोयला लिंकेज वाले 134 ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) की दैनिक आधार पर निगरानी करता है। 24.11.2019 की स्थिति के अनुसार इन विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कुल कोयला स्टॉक 23.80 मिलियन टन (एमटी) है, जो औसतन इन संयंत्रों को 14 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त है। दिनांक 24.11.2019 को इन विद्युत संयंत्रों पर स्टॉक स्थिति दर्शाते हुए दैनिक कोयला स्टॉक रिपोर्ट **अनुबंध-I** पर है। सीईए 34 टीपीपी की कोयला स्टॉक की स्थिति की मासिक आधार पर निगरानी भी करता है। दिनांक 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार, इन 34 विद्युत संयंत्रों पर स्टॉक की स्थिति दर्शाते हुए मासिक कोयला स्टॉक रिपोर्ट **अनुबंध-II** पर है।

(ख) : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियम, 2019-24 के अनुसार विद्युत के उचित उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी संबंधी ब्याज के उद्देश्य के लिए, अपेक्षित कोयला स्टॉक पिट हैड उत्पादन स्टेशनों के लिए 10 दिन और गैर-पिट हैड उत्पादन स्टेशनों के लिए 20 दिन है।

(ग) : निर्बाध विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकारों/वितरण यूटिलिटियों का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार अपनी एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की अनुपूर्ति करती है। ये योजनाएं सभी के लिए 24x7 विद्युत हासिल करने के लिए वितरण नेटवर्क/ग्रिड कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण में उनकी सहायता करती हैं और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति में सुविधा प्रदान करेंगी।

भारत सरकार, केन्द्र सरकार के स्टेशनों (सीजीएस) से विद्युत के आबंटन द्वारा भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। राज्य मांग और आपूर्ति में किसी अंतर को पूरा करने के लिए पावर एक्सचेंजों सहित विभिन्न बाजार तंत्रों के माध्यम से भी विद्युत की खरीद कर सकता है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 28.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1823 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

दैनिक आधार पर सीईए द्वारा निगरानी किए गए 134 ताप विद्युत संयंत्रों की कोयला स्टॉक स्थिति
(24.11.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्यों में ताप विद्युत संयंत्र	कोयला स्टॉक ('000 टन में)
1	हरियाणा	1813.47
2	पंजाब	1354.87
3	राजस्थान	688.79
4	उत्तर प्रदेश	3866.99
5	छत्तीसगढ़	988.32
6	गुजरात	1130.74
7	मध्य प्रदेश	2883.06
8	महाराष्ट्र	3515.63
9	आंध्र प्रदेश	941.64
10	कर्नाटक	1915.66
11	तमिलनाडु	492.28
12	तेलंगाना	1514.55
13	बिहार	471.16
14	झारखंड	742.53
15	ओडिशा	429.1
16	पश्चिम बंगाल	882.18
17	असम	170.01
	कुल	**23800.98**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 28.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1823 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

मासिक आधार पर सीईए द्वारा निगरानी किए गए 34 ताप विद्युत संयंत्रों की अक्तूबर, 2019 माह की कोयला स्टॉक स्थिति

क्रम सं.	राज्यों में ताप विद्युत संयंत्र	कोयला स्टॉक ('000 टन में)
1	राजस्थान	70.1
2	दिल्ली	0.0
3	छत्तीसगढ़	520.8
4	गुजरात	977.8
5	मध्य प्रदेश	756.0
6	महाराष्ट्र	212.3
7	आंध्र प्रदेश	145.1
8	कर्नाटक	361.0
9	तमिलनाडु	258.6
10	तेलंगाना	12.6
11	बिहार	0.0
12	ओडिशा	100.0
13	पश्चिम बंगाल	40.8
	कुल	**3455.1**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1826

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

सौभाग्य के अंतर्गत असम हेतु निधियों का आवंटन

1826. डॉ. राजदीप रायः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत आवंटित कार्यों के पूरा होने के बाद भी, असम राज्य में काफी घर विद्युतीकृत नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित निधि 5098.16 करोड़ रुपये की तुलना में सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2507.97 करोड़ रुपये की राशि राज्य के लिए स्वीकृत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का कछार जिले सहित राज्य में हर घर के विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त निधि को मंजूरी देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : असम राज्य ने 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, सौभाग्य पोर्टल पर सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। तदनंतर, असम ने सूचित किया कि 31.03.2019 से पूर्व 2 लाख अभिचिन्हित गैर-विद्युतीकृत घर, जो पहले विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं थे, परंतु अब वे विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं। राज्य को इन घरों को प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत करने के लिए कहा गया है। इनमें से 65,979 घरों को 31.10.2019 तक पहले ही विद्युतीकृत कर दिया गया है।

(ग) से (च) : असम के लिए सौभाग्य के अंतर्गत, 927.87 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा सौभाग्य के अंतर्गत सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए सक्षम बनाने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, 1,493.57 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा पहुँच सहित ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, 1,535.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1831

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2019 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई का मूल्यांकन

1831. श्री अजय निषादः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित देश भर के राज्यों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्यान्वयन का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ग) बिहार में विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों और जिन्हें अभी भी विद्युतीकृत किया जाना है उनकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त राज्य में शेष गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य सहित सम्पूर्ण देश के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के निष्पादन की समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(ग) से (ङ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28.04.2018 तक बिहार में सभी आवासित जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान बिहार में कुल 1152 आवासित जनगणना गांवों का विद्युतीकरण किया गया था।

****